कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 3266/12–1 दिनांक 12/12/2023

सेवा में,

महाप्रबंधक,
विन्धिया टेलीलिंक,
प्लॉट संख्या–ई–237,
तीसरी मंजिल, औद्योगिक क्षेत्र,
फेज–VIII-B, मोहाली पंजाब।

विषयः– **उत्तराखण्ड राज्य में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खैरना पुल–काकड़ीघाट–सुयालबाड़ी तक मोटर मार्ग के किनारे ओ.एफ.सी बिछाने हेतु 0.462 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु विंध्या टेलीकॉम लिमिटेड को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :– **अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 1349/X-3-23/2(49)/2023 दिनांक 17.10. 2023।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में संदर्भित शासनादेश के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसमें सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित शर्तों का निम्न प्रकार अनुपालन किया जाना है –

<table>
<tr><th>शर्त संख्या</th><th>शर्त</th></tr>
<tr><td>1</td><td>शर्त संख्या 1 के अनुपालन में वन भूमि की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>शर्त संख्या 2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>शर्त संख्या 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुंचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>शर्त संख्या 4 के अनुपालन में प्रयोक्त एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों को वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
इस शर्त हेतु निम्न धनराशि जमा की जानी आवश्यक है –
<table><tr><th>क्र0सं0</th><th>पौधों की संख्या</th><th>Rate/Plant</th><th>जमा की जाने वाली धनराशि</th></tr><tr><td>1</td><td>100</td><td>1771.00</td><td>177100.00</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>शर्त संख्या 5 के अनुपालन में उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्तसी एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>शर्त संख्या 6 के अनुपालन में फाईबर बिछाने का कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>शर्त संख्या 7 के अनुपालन में वन विभाग तथा उसके अभिकताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, फाईबर केबिल बिछाये जाने वाले भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>शर्त संख्या 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक</td></tr>
</table>

P/c

	के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
9	शर्त संख्या 9 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित फाईबर केबिल बिछाये जाने के समय एवं तदोपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।
10	शर्त संख्या 10 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
11	शर्त संख्या 11 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताविक स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
12	शर्त संख्या 12 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से फाईबर केबिल बिछाये जाने के दौरान/खुदाई के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
13	शर्त संख्या 13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौंधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
14	शर्त संख्या 14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
15	शर्त संख्या 15 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने के कार्य के लिए संबंधित लो0नि0वि0, डिवीजन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति में पत्र/आदेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16	शर्त संख्या 16 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक :– संदर्भित पत्र।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

O/C

पत्रांक 3264 / **उक्तदिनांकित।**

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फौरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि वन क्षेत्राधिकारी, उत्तरी गौला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल